

**कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
// सार्वजनिक सूचना //**



क्रमांक

/भू-अर्जन/56/2017

धमतरी दिनांक /08/2017

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की "दर्रा-पटेवा मार्ग में सरार नाला पर पुल निर्माण परियोजना" हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः राज्य शासन द्वारा छ.ग.शासन की आपसी सहमति से भूमि कय नीति, 2016 के प्रावधानों के तहत नीचे दी गयी अनुसूची में वर्णित भूमि को लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रायपुर के पक्ष में कय करने पर विचार किया जा रहा है।

भूमि का विवरण							प्राधिकृत अधिकारी
जिला	तहसील	ग्राम/ प.ह.नं.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	आपसी सहमति से कय हेतु प्रस्तावित रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	
धमतरी	कुरुद	धूमा/ 09	श्याम बिहारी पिता सत्यनारायण गुप्ता सा.तेलीबांधा रायपुर	9	0.44 हे.	0.21 हे.	कलेक्टर जिला धमतरी

02- यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर धमतरी के समक्ष स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।

(डॉ.सी.आर.प्रसन्ना)

कलेक्टर जिला धमतरी

एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

8285

पू.क्र.क्रमांक
प्रतिलिपि :-

/भू-अर्जन/56/2017

धमतरी दिनांक 8/08/2017

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कुरुद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रायपुर/धमतरी को सूचनार्थ। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें।
3. जिला प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला धमतरी को सूचनार्थ। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना को छ.ग. शासन राजस्व विभाग के वेबसाइट एवं स्थानीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. तहसीलदार कुरुद, तहसील कार्यालय एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पटल में प्रकाशन हेतु।

(डॉ.सी.आर.प्रसन्ना)

कलेक्टर जिला धमतरी

एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

for upload.
Laid out by
"Bhujay"